

Form No. III**फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़

मुकाम

चित्तौड़गढ़

बालुराम

बनाम

अयुबखान वगैराह

कार्यवाही अन्तर्गत :-

75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

किस्म मुकदमा

राजस्व अपील

नं०

003

सन्

2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.08.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। हाजिर वकील अपीलार्थी ने आदेशिका पर NOT PRESS अंकित कर निवेदन किया गया कि प्रकरण में अपीलार्थी कार्यवाही नहीं चाहते है, अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिलवाया जावे। हमने पत्रावली का आद्यौपातं अवलोकन किया। हाजिर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस बाबत कार्यवाही विद्मो का चिंतन-मनन किया। अपीलार्थी स्वयं अपनी अपील नहीं चलना चाहते है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी में कार्यवाही समाप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः वकील अपीलार्थी के निवेदन को स्वीकार किया जाता है, एवं अपील अपीलार्थीगण विद्मोल में खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



-ह०-

(आलोक रंजन)

जिला कलक्टर,

चित्तौड़गढ़

21.08.2024